

17/10/19

श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री एस.एन.अग्रवाल,
निवासी प्लेट नम्बर 901, जे.के.डी. पर्थ लैंडमार्क,
बापू नगर, जयपुर।

विषय:-निजी खातेदारी की योजना शिव नगर द्वितीय के भूखण्ड संख्या 24 के प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

संदर्भ:-आन लाईन आवेदन क्रमांक जेडीए/2019-20/बीपीएस/51 दिनांक 13.08.2019 के क्रम में।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2019 के क्रम में किये गये निवेदन अनुसार निजी खातेदारी की योजना शिव नगर द्वितीय के भूखण्ड संख्या 24 क्षेत्रफल 438.88 वर्ग गज (366.95 वर्ग मी.) पर 15.0 मीटर ऊँचाई (स्टील्ट + 4 मंजिल) के आवासीय भवन के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति जोनल लेवल कमेटी के निर्णय दिनांक 15.10.2019 के द्वारा किया गया है। जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 15.10.2019 में लिये गये निर्णयानुसार आवासीय भूखण्ड पर भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गयी है :-

1. यह भवन अनुज्ञा जारी दिनांक से सात वर्ष तक प्रभावी है।
 2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डिवियेशन) नहीं किया जायेगा।
 3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत भवन मानचित्र प्रचलित भवन विनियम 2017 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी भवन मानचित्र के आदेशों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
 4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामी प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा।
 5. आप द्वारा भवन विनियम 2017 की धारा-15.2 के अनुसार भवन विनियम प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें सम्बन्धित जोन के उपायुक्त एवं प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जावेगी।
 6. एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
 7. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, समक्ष अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
 8. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायें कि वो सड़क की ओर निकले हुए नही हों।
 9. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
 10. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके सबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
 11. प्रशंगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरित निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
 12. भवन निर्माण के समय रामग्री रो आरा पास के गवनो के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगाये जावे।
 13. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भूकम्प रोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
 14. एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
 15. वर्षा जल संग्रहण हेतु वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।
 16. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नही होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
- संलग्न:-अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति का एक सैट (02 मानचित्र)।**

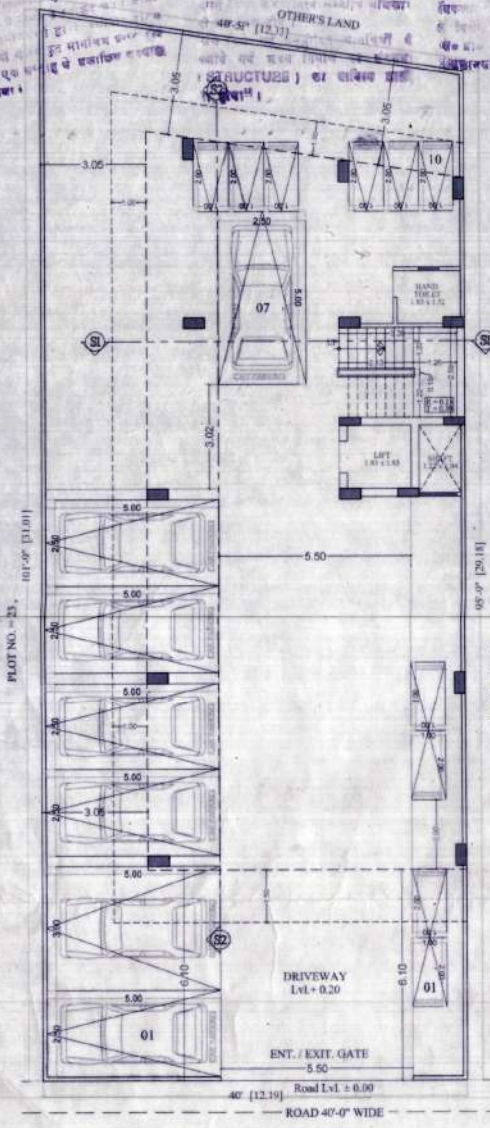
संलग्न:-अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति का एक सैट (02 मानचित्र)।

(अबू सूफियान चौहान)
उपायुक्त जोन-9

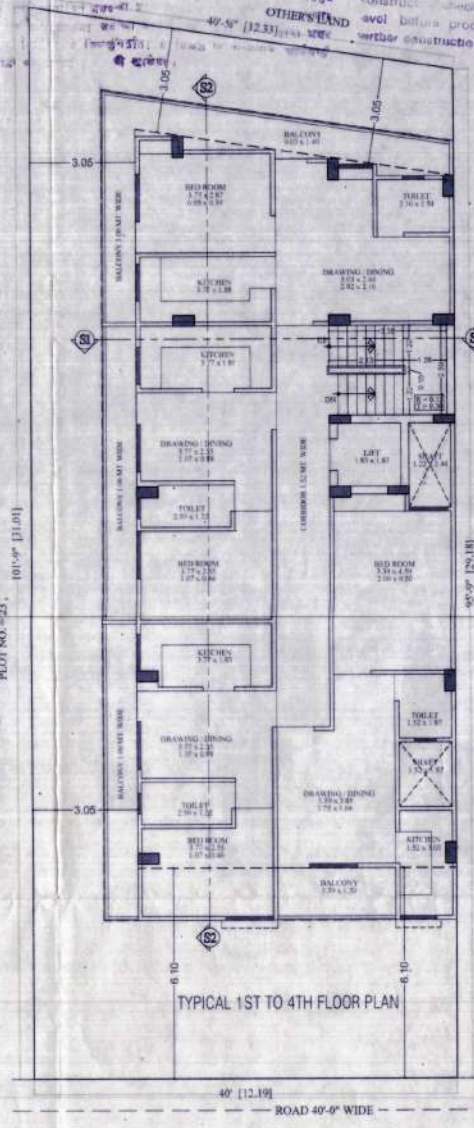
अध्यापक विभाग, इन्फोर्मेशन, अकादमिक

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

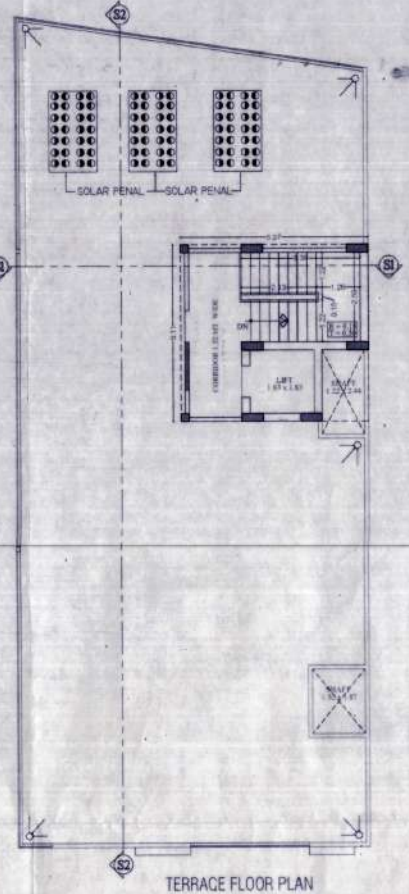
दूरभाष- (+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईसीबीआयस - +91-141-2569696 एम्सटेशन: {सम्बन्धित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल}



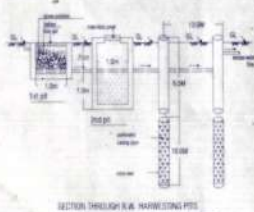
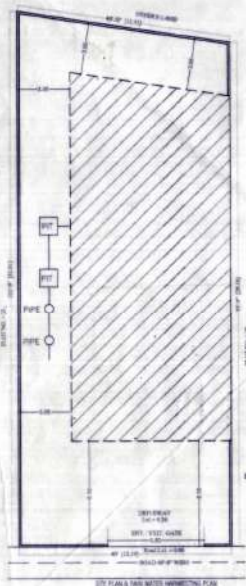
STILT FLOOR PLAN



TYPICAL 1ST TO 4TH FLOOR PLAN



TERRACE FLOOR PLAN



S.NO	REFERENCE
1	TOTAL PLOT AREA = 366.95 SQ.MT = 438.66 SQ.YDS
2	PERMISSIBLE B.A.R = 366.95 x 2 = 733.90 Sq.mt
3	PROPOSED B.A.R = 624.14 Sq.mt (2.51%)
4	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
5	PROPOSED GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
6	E.C.U. REQUIRED RESIDENCE 904.14 / 115 = 8.03 + 28% (VISITOR PARKING) E.C.U. = 10.03 CAR = 7, SCOOTER = 10
7	E.C.U. PROPOSED CAR = 7, SCOOTER = 16 (10.33 E.C.U.)

S.NO. FLOOR	BLK. AREA	CUTOUT	GRASS AREA	CHAJJA	BUILT UP AREA	B.A.R
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

आवश्यक भवन के भवन मानचित्रों
Z.C की छेड़ छेड़ दिनांक 15/10/19
को अनुमोदन किया गया है।
सायबक नगर निरीक्षण
जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHRI KRISHN
ARCHITECT
CA/08/25451
SCALE = 1:100

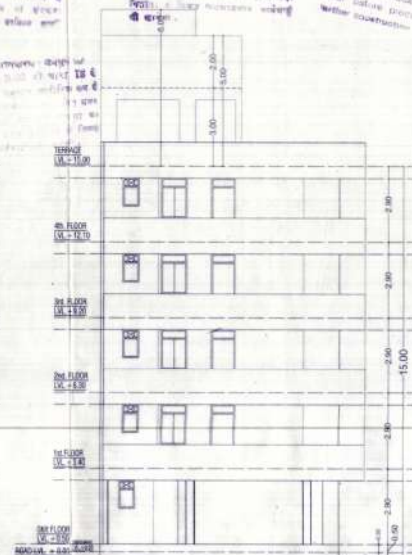
PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. = 24, SCHEME - SHIV NAGAR - II (NIJI KHATEDHAR), JAIPUR.	OWNER 	ARCHITECT :-
---	-----------	------------------

[illegible][illegible][illegible]

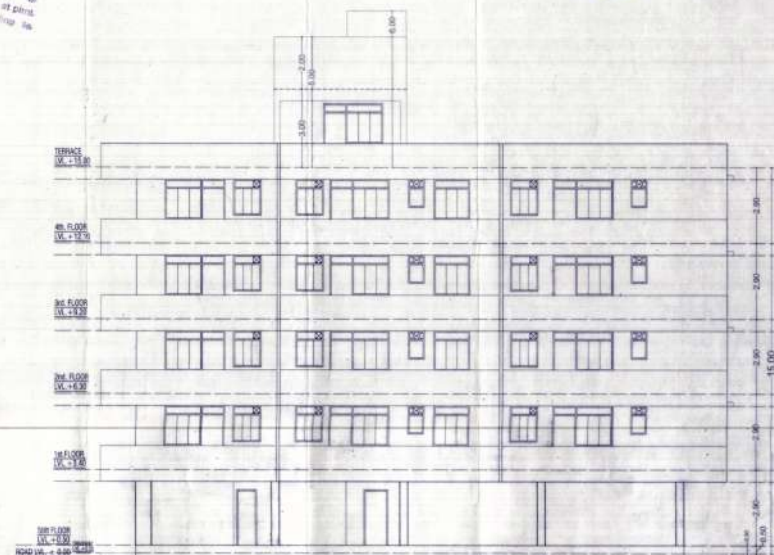
...before proceeding to
either construction...



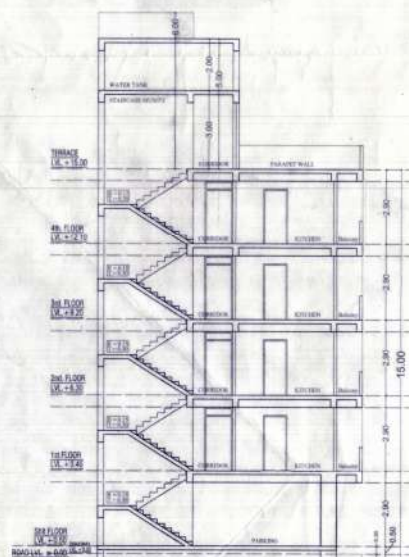
FRONT ELEVATION



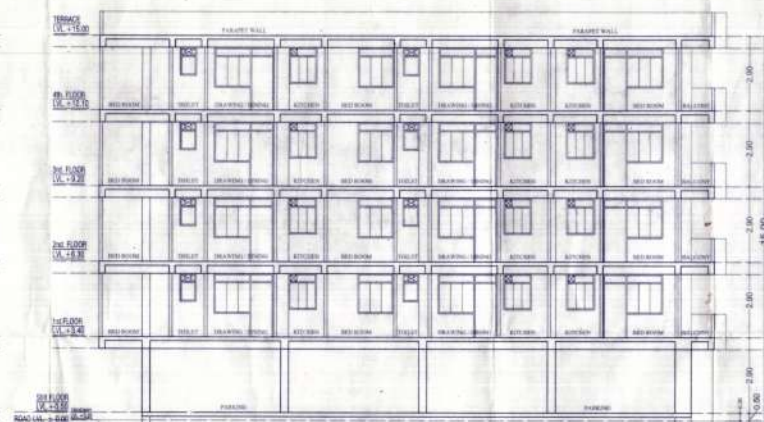
BACK SIDE ELEVATION



LEFT SIDE ELEVATION



SECTION AT S1-S1



SECTION AT S2-S2

जावासीम इनन के भवन मानचित्रों
ZLC की वेबसाइट दिनांक 15/10/19
को अनुमोदन किया गया है। जवासीम

सहायक नगर नियोजक
खंड-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHR KRISHNA
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. = 24,
SCHEME - SHIV NAGAR - II (NIJI KHATEDHAR), JAIPUR.

OWNER

ARCHITECT :-

SPACE GRID

C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR NEAR JANTA STORE CIRCLE
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email- info.spacegrid@gmail.com

SCALE = 1:100